

कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रीवा (म०प्र०)

क्रमांक- 64 / निर्वाह/2025/रीवा,
प्रति

दिनांक- 21/05/2025

संचालक
सूचना एवं प्रकाशन विभाग
बाणगंगा मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- केन्द्रीय जेल रीवा में स्थापित सी.सी.टी.वी. सिस्टम के रख-रखाव (ए.एम.सी.) हेतु की प्रथम वार्षिक ई-निविदा विज्ञप्ति वर्ष 2025-26 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बावत्।

संदर्भ:- जेल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 20861/उद्योग /2023, भोपाल दिनांक 22/12/2023


-----000-----

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि केन्द्रीय जेल रीवा में सी.सी.टी.वी. सिस्टम (पी.टी.जेड.-05 नग, स्थाई-20 नग कैमरे) के वार्षिक रख-रखाव (ए.एम.सी.) हेतु प्रथम वार्षिक ई-निविदा विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ऑन-लाइन प्रेषित की जा रही है।

अतः केन्द्रीय जेल रीवा की प्रथम वार्षिक ई-निविदा विज्ञप्ति वर्ष 2025-26 का प्रकाशन कम से कम 01 राष्ट्रीय दैनिक समाचार एवं 02 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक- 28/05/2025 के पूर्व आवश्यक रूप से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- ई-निविदा विज्ञप्ति।

पृ. क्रमांक- 65/78 / निर्वाह/2025/रीवा,
प्रतिलिपि:-


जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल रीवा (म०प्र०)
दिनांक- 21/05/2025

1. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर निविदा विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा का प्रकाशन राजपत्र में करवाने का कष्ट करें।
2. आयुक्त, नगर निगम रीवा की ओर ई- निविदा सूचना की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
3. जिलाध्यक्ष, जिला-रीवा की ओर ई-निविदा की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पंजीयक सहकारी समिति रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक, लघु उद्योग निगम मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर/भोपाल/इंदौर/सतना/ग्वालियर/उज्जैन/सागर/नरसिंहपुर/बड़वानी/ होशंगाबाद एवं अधीक्षक, जिला जेल सीधी/शहडोल/उमरिया/बैठन/अनूपपुर/सब जेल बुढ़ार/ब्यौहारी/मऊगंज /त्योथर की ओर निविदा सूचना की एक-एक प्रति निविदा प्रसारण व्यापारियों से कराकर वापिस करने हेतु प्रेषित।
8. टेक्नीकल डायरेक्टर एण्ड हेड आई.डी.सी. एण्ड वेब डिविजन, एन.आई.सी.सी. -विंग बेसमेंट, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि जेल की निविदा सूचना जेल की वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन. आर. सी. रीवा, जिला-रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रबंधक सहकारी उपभोक्ता भण्डार रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. स्थानीय व्यापारीगण रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. प्रमुख मुख्य प्रहरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि निविदा विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु केन्द्रीय जेल रीवा के सूचना पटल पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
14. श्री शिवम नामदेव, प्रहरी, केन्द्रीय जेल रीवा की ओर पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि ई- निविदा विज्ञप्ति जेल वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर आज ही अपलोड कर निर्वाह शाखा प्रभारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।


जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल रीवा (म०प्र०)

कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रीवा (म०प्र०) प्रथम वार्षिक ई-निविदा आमंत्रण वर्ष 2025-26

केन्द्रीय जेल रीवा में स्थापित सी.सी.टी.वी. सिस्टम के रख-रखाव (ए.एम.सी.) के लिये प्रथम वार्षिक ई-निविदा www.mptenders.gov.in पर दिनांक-17/06/2025 को सायं 05:00 तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यापारीगण ई-निविदा फार्म एवं ई-निविदा से संबंधित संपूर्ण जानकारी www.mptenders.gov.in वेबसाइट से प्राप्त करें। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	दिनांक/ समय	स्थान
1.	प्री- बिड मीटिंग	02/06/2025 प्रातः 11:00 बजे	केन्द्रीय जेल रीवा(म०प्र०)
2.	ई- निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि (निविदा फार्म का मूल्य रुपये 05.00 लाख तक रुपये 500.00 एवं रुपये 05.00 लाख से अधिक रुपये 1000.00 लेखा शीर्ष 0056 जेलें 800 अन्य प्राप्ति में जमा की जावेगी।)	16/06/2025 सायं 05:00 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
3.	ई- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17/06/2025 सायं 05:00 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
4.	तकनीकी निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज खोलने की अंतिम तिथि	18/06/2025 सायं 05:00 बजे	केन्द्रीय जेल रीवा(म०प्र०)
5.	वित्तीय ई- निविदा खोलने की तिथि	20/06/2025 सायं 05:00 बजे	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

(सी.सी.टी.वी. कैमरा ऑल सिस्टम)

क्र.	उपकरण का नाम	अनुमानित राशि	03% अमानत राशि	ई-निविदा समयावधि
1.	सी.सी.टी.वी. कैमरा ऑल सिस्टम	10,00,000.00	30,000.00	एक वर्ष



जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल रीवा (म०प्र०)

“निविदा की शर्तें”

1. निविदा की कार्यवाही मध्य प्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) के प्रावधान के अन्तर्गत ई-टेंडर के माध्यम से की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख तक रू. 500 एवं 5 लाख से अधिक रू. 1000 प्रति निविदा फार्म ऑन लाईन लेखा शीर्ष 0056-जेलें-800 अन्य प्राप्ति में करना होगा।
3. निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करना होगा –
 - I. आधार कार्ड एवं पेन कार्ड।
 - II. निविदाकर्ता को प्रतिष्ठान का दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन का वैध प्रमाण-पत्र।
 - III. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का CCTV कैमरा संबंधित उपकरणों एवं तकनीकी सह उपकरणों की खरीद फरोख्त तथा सुधार कार्य से संबंधित नगर पालिका/निगम/परिषद का व्यवसायिक लायसेंस प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त संस्थानों द्वारा लायसेंस प्रदाय नहीं किया जाता, तो इस संबंध में उक्त संस्था का व्यवसायिक लायसेंस जारी न करने के संबंध में स्पष्ट पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - IV. CCTV उपकरणों के रख-रखाव एवं इनके कार्य संबंधी तकनीकी विशेष ज्ञान रखने वाले एवं इस संबंध में किसी मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्था प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को तकनीकी निविदा में प्राथमिकता दी जाएगी।
 - V. जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - VI. निविदा जारी होने की तिथि से विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न।
 - VII. निविदा जारी होने की तिथि से विगत त्रैमासिक (Quarterly) अथवा मासिक जमा करने की स्थिति में पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न।
 - VIII. निविदा शर्त 11 के अनुसार सी.ए. से प्रमाणित टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र।
 - IX. निविदा शर्त 10 के अनुसार शासकीय विभागों में विगत 03 वर्ष का सी.सी.टी.व्ही. सिस्टम संबंधी कार्य अनुभव। जेल विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य शासकीय विभाग का कम से कम एक वर्ष का कार्य के अनुभव के अभिलेख।
4. निविदाकार की निविदा प्रपत्र पर सील, जिसमें फर्म का पूरा पता एवं विवरण हो, अंकित होना चाहिए (परिशिष्ट –ए & बी)
5. निविदा प्रपत्र में चाही गई जानकारी स्पष्ट व सुवाच्य अक्षरों में उल्लेख की जानी चाहिए। अधूरी जानकारी वाली निविदा अपूर्ण मानी जाएगी तथा इस प्रकार की अपूर्ण निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
6. फर्म का कार्यालय/सर्विस सेंटर का पूरा पता, संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता मोबाईल नंबर सहित, निविदा में उल्लेखित होना चाहिए।
7. तकनीकी मापदंड के रूप में संबंधित जेल पर स्थापित सर्विलेंस सिस्टम के CCTV कैमरों, सामग्री व सह उपकरण जेलों द्वारा जारी सूची अर्थात् परिशिष्ट – सी का यथा स्थिति में निविदाकर्ता अवलोकन कर ले, ताकि बाद में उनके रख-रखाव में कोई असमंजस/विवाद की स्थिति निर्मित न हो। इस हेतु संबंधित जेल में कार्यालयीन समय 11 से 17 बजे तक दिनांक 02/06/2025 को संपर्क कर सर्वे कर सकते हैं।
8. CCTV सर्विलेंस सिस्टम के रख-रखाव हेतु निविदाकार फर्म का स्थानीय सर्विस सेंटर अथवा संबंधित जेल पर ऑन साईट सपोर्ट होना अनिवार्य है ताकि सिस्टम में खराबी आने पर फर्म के प्रतिनिधि आसानी से तुरंत उपलब्ध होकर ठीक कर सकें। खराबी की स्थिति निर्मित न हो और सिस्टम बेरोकटोक निरंतर रूप से कार्य करता रहे, इस हेतु निविदाकार फर्म को सी.सी.टी.व्ही. तंत्र के समुचित रख-रखाव के लिए निविदा के साथ एक नियोजित निवारक रख-रखाव कार्ययोजना (Planned Preventive Maintenance Schedule) प्रस्तुत करनी


होगी, जिसमें इसकी संपूर्ण प्रतिक्रिया और परिशिष्ट - डी पर दी गई जानकारी का विस्तृत विवरण समाहित होगा। साथ ही निविदाकार निविदा के साथ एक वार्षिक कैलेंडर परिशिष्ट -ई पर तालिका अनुसार प्रस्तुत करेंगे, जिसके CCTV तंत्र के प्रत्येक उपकरण के लिए विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक) निवारक रख-रखाव गतिविधियों की आवश्यकता का विवरण उल्लेखित होगा।

9. निविदा में फर्म की किसी भी प्रकार की अन्य शर्त मान्य नहीं होगी, अर्थात् सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. फर्म का विगत 3 वर्ष का CCTV के प्रतिस्थापित करने या रख-रखाव का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसमें से कम से कम 01 वर्ष का जेल विभाग में अतिरिक्त अन्य किसी पुलिस इकाईयों/अर्द्धसैनिक बलों / शासकीय संस्थानों में CCTV के रखरखाव संबंधी कार्य करने के कार्यदेश की छायाप्रति संलग्न करें।
11. निविदा करने वाली फर्म का पिछले 03 वित्तीय वर्ष का औसत टर्न ओवर रूपये 01 करोड से कम नहीं होना चाहिए।
12. सर्विलेंस सिस्टम के अन्तर्गत जो भी उपकरण, कैमरे के द्वारा चित्र लेने से लेकर उसके टेलीवीजन पर डिस्प्ले तक मध्य आते हैं, सभी ए.एम.सी. में सम्मिलित होंगे इसमें विद्युत से लेकर CCTV उपकरण तक, इससे संबंधित विद्युत कार्य व उपकरण भी शामिल होंगे।
13. सामान्य रख-रखाव के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति में कार्य न करने वाले कैमरों व उपकरणों को नवीन लगाकर या मरम्मत कर पुनः चालू करना होगा। इसके अतिरिक्त समस्त टूट-फूट/ खराबी, पूर्व से अथवा प्राकृतिक कारणों से आती है, ए.एम.सी. में शामिल होगी।
14. रख-रखाव के अंतर्गत जो भी हिस्से-कलपुर्जे लगाये जाए, वे भी Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) के होने चाहिए।
15. सर्विलेंस सिस्टम के सुधार में जो भी अतिरिक्त सामग्री लगेगी, उसका व्यय भार फर्म को ही वहन करना होगा, जिसका पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. वार्षिक रख-रखाव के संबंध में भुगतान, कार्य के उपरांत प्रति तिमाही की अंतिम तिथि के बाद किया जाएगा। आहरण एवं भुगतान प्रक्रिया में शासकीय व्यवधानों के कारण फर्म के भुगतान में विलंब भी हो सकता है, विलंब के लिए पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. सफल निविदाकार को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर स्थापित सभी कैमरों को दुरुस्त कर चालू हालत में करना होगा, अन्यथा एम.एम.सी. की संपूर्ण राशि 0.2 प्रतिशत प्रति दिवस के मान से राशि का कटौती किया जाएगा।
18. ए.एम.सी. अवधि के अन्तर्गत यदि कैमरों का सम्पूर्ण डिस्प्ले बंद होता है, और उसे 24 घंटे में नहीं सुधारा जाता, तो 24 घंटे पश्चात, ए.एम.सी. की संपूर्ण राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति दिवस के मान से ए.एम.सी. की राशि का कटौती किया जाएगा।
19. अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात, विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत निविदाकार की सेवाएं संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में, अनुबंध तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है इस हेतु निविदाकार को परिशिष्ट - ई में पूर्ण निविदा अवधि की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।
20. सफल निविदाकार को मुख्यालय भोपाल द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार वार्षिक अनुबंध पत्र रूपये 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टैप पेपर पर नियमानुसार तैयार करवाकर देना होगा।
21. निविदा की प्रतिभूति (ई.एम.डी.) निविदा मूल्य की 03 प्रतिशत जमा करना होगी। सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत प्रदाय आदेश जारी होने पर अनुबंध-पत्र के साथ सामग्री के कुल मूल्य की 03 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगी जिसकी अवधि अनुबंध अवधि के 60 दिवस के बाद तक वैध होना चाहिए।
22. संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री को संबंधित स्थान से मरम्मत हेतु बाहर ले जाने के पूर्व, उसके बदले में मरम्मत होने तक "स्टैंड बाय" सामग्री देनी होगी, जिससे कि सिस्टम यथावत चालू रहे।

✓

23. संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री को मरम्मत हेतु संबंधित स्थान से ले जाने एवं लाने के लिए किसी प्रकार का किराया फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा। संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री के मरम्मत हेतु अधिकतर उपयोग में आने वाले कैमरा, रेडियो लिंक, डिवाइस तथा अन्य उपकरणों के स्पेयर कॉम्पोनेन्ट्स की सूची उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा एवं इस सूची अनुसार स्थानीय सर्विस सेंटर अथवा संबंधित जेल साईट पर स्टैंड बाय स्टॉक रखा जाना आवश्यक है।
24. यदि PTZ अथवा फिक्स कैमरों के सामने कोई व्यवधान उत्पन्न होता है जिसके कारण कैमरे की क्षमता पर असर आता है तो उसे दूर करने की जवाबदारी निविदाकर्ता फर्म की होगी।
25. यदि किसी कारण से कैमरे को हटाया जा कर पुनः प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसका अलग से शुल्क देय नहीं होगा। कैमरे को प्रतिस्थापित करने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।
26. निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को होगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
27. अनुबंध होने के पश्चात यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा सर्विलेंस सिस्टम के रख-रखाव संबंधी कार्य बिना किसी कारण के बीच में बंद किया जाता है, तो एक तरफा कार्यवाही करते हुए फर्म की धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी। उसके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया जाएगा। वार्षिक रख-रखाव अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। उस फर्म का नाम काली सूची में अंकित किया जाएगा, जिसकी पूर्ण अधिकार महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को होंगे।
28. जेल अधीक्षक के आदेश से व्यथित कोई भी निविदाकार महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को अपील कर सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
29. वित्तीय-निविदा में दर्शायी गयी राशि समस्त करों सहित होनी चाहिए।
30. सी.सी.टी.व्ही. उपकरणों के रख-रखाव में निविदाकार द्वारा जिन कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी, उन्हें सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा- उपकरण उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित निविदाकार का होगा। सी.सी.टी.व्ही. उपकरणों के रख-रखाव के दौरान यदि कोई घटना-घटित होती है, तो कर्मचारियों की सुरक्षा एवं दायित्वों की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
31. निविदाकार द्वारा सी.सी.टी.व्ही. उपकरणों के रख-रखाव हेतु सर्विस देने वाले कर्मचारियों का पुलिस-वेरीफिकेशन कराना होगा, इस हेतु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात जो भी कर्मचारी जेल पर भेजे जाएंगे, उन कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।



 जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल रीवा (म.प्र.)

ANNEXURE-A**CENTRAL JAIL REWA MADHYA PRADESH**
(TO BE FILLED UP BY THE TENDERER)

1.	Name & Full Address of the Firm	
2.	Registered office with address	
3.	Income tax PAN No.	
4.	Sales Tax Registration Number and Sale Tax Clearance Certificate of last Financial year	
5.	Whether proprietorship/limited company of private Ltd. or partnership	
6.	If single proprietor name and address of the proprietor	
7.	If partnership firm name and address of the partners	
8.	If private Ltd. or public company then name and address of directors	
9.	Whether you have any shop & service center in M.P. if so detail address of the same.	
10.	Name and address of the persons who will represent the firm while dealing with the jail headquarters.	
11.	Turnover for the last three years	
12.	Supplies to government departments in last three years (Please enclose purchase order copies)	

**Signature and Seal of Tendered**

ANNEXURE-B

CENTRAL JAIL MADHYA PRADESH.....
(TENDER NOTICES NO.....)
TENDER FORM

- (i) Subject: Tender for.....
(Mention the name of the articles for which the tender is submitted)
- (ii) Name and full address of the firm submitting the tender.
- (iii) Address to:- the Superintendent of jail Madhya Pradesh.....
- (iv) Reference:- This is with reference to tender no..... Date:.....
- (v) Tender fee amounting to Rs..... Has been deposited vide Challan No..... Dated:.....
..... For Rs.....
- (vi) We agree to able by all conditions mentioned in Tender Notice No. Issued by the Superintendent of jail Madhya Pradesh..... and also the general and specific terms and conditions as annexed with said Tender Notice and as given in the attached sheets, all the pages of which have been signed in the margin, By us in token of our acceptance of the terms and conditions there in.
- (vii) Our rates of the supply of are as under (mention the name of the each article and its quantity for which tender is submitted rate quoted should be in figures as well as in words)
- 1.
 - 2.
 - 3.
- (viii) We further agree to deliver mentioned stores within a period of 1 year from the date of receipt of firm order.
- (ix) We confirm that the rates quoted above are valid up to 1 year.
- (x) Draft No..... DatedRs..... (Rs.) In favor of the Superintendent of jail Madhya Pradesh.....on.....(Mention the name of the Bank) is enclosed here with to cover Earnest money.

SIGNATURE OF PROPRIETOR/MANAGER
REPRESENTATIVE OF THE FIRM ON BEHALF OF
THE FIRM GIVING TENDER



नियोजित निवारक रख-रखाव कार्य योजना का प्रस्ताव देने वाले निविदाकार द्वारा प्रस्ताव के अंतर्गत विस्तृत तौर पर प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

1. निवारक रख-रखाव के अंतर्गत उपकरणों के ओ. ई. एम. द्वारा प्रस्तावित सभी प्रकार की जाँच की जानकारी/सूची।
2. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख-रखाव का इंस्पेक्शन प्लान एवं कार्य शेड्यूल।
3. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख-रखाव का प्रत्येक उपकरण जाँच के रिकार्ड रखने का फार्म का प्रकार।
4. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख-रखाव संबंधित सभी एस. ओ. पी. (Standard Operating Procedure)।
5. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित / वर्तमान से संचालित सी.सी.टी. व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों कि पूर्व के रख-रखाव के अनुभव एवं रिकार्ड।
6. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित सी.सी.टी.व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों में होने वाले तकनीकी त्रुटियों की पूर्व अनुभव की जानकारी / डेटा जिसके आधार पर निवारक रख-रखाव का प्रस्ताव आवेदक द्वारा तैयार किया गया है।
7. सी. सी. टी. व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों को बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रत्येक उपकरण के बारे में अग्रेषित "निवारक रख-रखाव योजना" एवं इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली प्रत्येक उपकरण की जाँच की जानकारी/सूची (Maintenance Manual / Operational Manual)।
8. निवारक रख-रखाव योजना के अंतर्गत प्रस्तावित जाँच में प्रयोग में लिये जाने वाले यूजर मैनुअल इत्यादि की प्रति /जानकारी।
9. सी.सी.टी.व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों के समुचित रख रखाव के लिये आवश्यक तकनीकी कलपुर्जों की उपलब्धता सभी जेलों में सही समय सुनिश्चित किए जाने हेतु निविदाकार द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी।
10. सी. सी. टी. व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की जाँच करने के लिए आवश्यक समुचित विशेषता रखने वाले तकनीकी मानव संसाधनों की व्यवस्था आवेदक द्वारा किए जाने के बारे में विस्तृत जानकारी एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव की जानकारी।
11. सी. सी. टी. व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की जाँच करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले प्रस्तावित टेस्ट उपकरणों की सूची।
12. सी. सी. टी. व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों निवारक रख-रखाव योजना के अंतर्गत की जाने वाली जाँच की रिपोर्ट को जेल अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले प्रस्तावित रिपोर्ट फार्म की प्रति पाक्षिक / मासिक / त्रैमासिक / अर्द्धवार्षिक / कोई अन्य जाँच।
13. सी. सी. टी. व्ही. तंत्र के सुचारू कार्य करने एवं इसके रख-रखाव के बारे में इन उपकरणों को प्रयोग में लाने वाले जेल अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके अभिमत (Feed Back) को प्राप्त करने की कार्य प्रणाली एवं इसके लिये प्रयोग में लेने के लिये प्रस्तावित फर्म इत्यादि का विवरण एवं प्रकार।
14. सी.सी.टी.व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की करने वाली जाँच / टेस्ट रिजल्ट के डेटा का रिकार्ड रखने के प्रारूप की प्रति।
15. सी. सी. टी. व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों के कार्य करने की अवधि (Life of Equipment) जो कि इन उपकरणों के ओ.ई.एम. द्वारा अनुमोदित की गई हो।
16. सी. सी. टी. व्ही. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों में उपयोग में लिये जा रहें (Software Program) के समय-समय पर जारी किये जाने वाले पैच को अप्लाय करने की प्रक्रिया का विवरण।



मध्यप्रदेश की जेलों में स्थापित सी.सी.टी.वी. तंत्र के नियोजित निवारक रख-रखाव का वार्षिक कैलेण्डर

1. निविदाकार रख-रखाव के लिये वार्षिक कैलेण्डर निम्न तालिका के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। इस तालिका में सी.सी.टी.वी. तंत्र के प्रत्येक उपकरण के लिये विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक) निवारण रख-रखाव गतिविधियों की आवश्यकता का विवरण उल्लेखित होगा।

उपकरण की जाँच के प्रकार	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	अर्द्धवार्षिक	कोई अन्य
सी.सी.टी.वी. तंत्र के उपकरण					
पी.टी.जेड. कैमरा					
फिक्स कैमरा					
एल.सी.डी. टेलीविजन					
सर्वर					
स्टोरेज सर्वर					
बैकअप सर्वर					
बैकअप स्टोरेज सर्वर					
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर					
वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर					
नेटवर्क स्विच					
सी.सी.टी.वी. तंत्र आर. एफ. उपकरण					
नेटवर्क केबल					
कैमरे का फील्ड बॉक्स					
कैमरे के फील्ड बॉक्स में लगे उपकरण					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का यू.पी.एस.					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का एयर कंडीशनर					
सर्वर की रैक					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का और कोई अन्य उपकरण					


r. सी.सी.टी.व्ही. तंत्र का और कोई अन्य उपकरण

- i. पाक्षिक जाँच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण ।
- ii. मासिक जाँच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण ।
- iii. त्रैमासिक जाँच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण ।
- iv. अर्द्धवार्षिक जाँच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण ।

s. सायवर सिम्प्योरिटी के प्रावधानों की विस्तृत जाँच

3. जाँच के लिये आवश्यक उपकरणों की सूची: निविदाकार द्वारा सी.सी.टी.व्ही. तंत्र उपकरणों के लिये अनुशंसित उपरोक्त सभी प्रकार की जाँचों में उपयोग आने वाले जाँच उपकरणों की सूची इस प्रस्ताव में प्रस्तुत की जाएगी।

अक्षय

 जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल रीवा (म.प्र.)